न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद, पलामू।

सूची 14 फारम संख्या 562 — फुलकुमारी देवी .... अपीलार्थी

बनाम्

आदेश पत्रक — रुबी देवी ई0 .... प्रतिवादीगण

F.O

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता0-----------------से--------------------तक

जिला पलामू।

नामातंरण अपील वाद सं0 10/सन् 2020

आदेशकी की क्र.सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
07.09.20	अपीलार्थी फुलकुमारी देवी जौजे जर्नाधन साव, राजकुमारी देवी जौजे राजेश साव, शोभा देवी जौजे अखिलेश साव ग्राम +पो0 दंगवार थाना हुसैनाबाद जिला पलामू की ओर से अंचल अधिकारी , हुसैनाबाद के द्वारा ऑनलाईन नामातंरण वाद सं0 313 R 27/2019-20 के द्वारा प्रतिवादी रुबी देवी पति रविन्द्र साव ग्राम टोंगरा थाना हुसैनाबाद जिला पलामू के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 11.03.2020 के विरुद्ध अपील दायर किया गया है तथा अपील आवेदन के साथ समय की विलम्ब अवधि को क्षान्त करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत अपील आवेदन पत्र संलग्न किया गया है । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अपील आवेदन का अवलोकन किया। समय सीमा की विलम्ब अवधि को क्षांत करते हुये अपील आवेदन को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया जाता है । प्रतिवादी को सूचना निर्गत करें । अंचल अधिकारी से अभिलेख की मांग करें । अभिलेख दिनांक 23.9.20 को रखें । [signature] भूमि सुधार उप समाहर्ता हुसैनाबाद।	P.N-108 20.8.22 [signature] Raj 20.8.22 P.N-156 09.11.22 [signature] Raj 09.11.22
23.9.20	अभिलेख उपस्थापित अपीलार्थी की ओर से फुलकुमारी देवी. शोभा देवी उपस्थित/प्रतिवादी अनुपस्थित/ नोटिस का प्रतिवेदन अप्राप्त/ ता० 26.10.20 [signature]	

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
22.12.21	श्री प्रकाश उपाध्याय/ अपीलार्थी की ओर से श्रीमती [illegible] कुमारी देवी उपस्थित/ प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। आदेशार्थ। (हस्ताक्षर) 22/12/21	

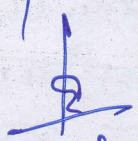

न्यायालय - भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद (पलामू)

1/2

नामांतरण अपील वाद संख्या – 10/2020

फूलकुमारी देवी बनाम रूबी देवी वगै०

Date of order of Proceding	Order With Signature of The Court	Office Action take with Date
1	2	3

22-02-2021

आदेश

अपीलार्थीगण ने अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद के द्वारा ऑनलाइन नामांतरण वाद संख्या 313 R 27 / 2019-2020 में दिनांक 11-03-2020 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है | वाद से सम्बंधित भूमि का विवरण:- ग्राम- दंगवर, थाना नंबर-365 अंचल - हुसैनाबाद

खाता नंबर	प्लाट नंबर	रकबा (डिसिमिल में)
225	1775	9.6

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, अपील आवेदन एवं प्रतिवादिगण द्वारा दाखिल किये गए प्रतिउत्तर का अवलोकन किया |

अपीलार्थीगण का कथन है कि प्रश्नगत भूमि रामाधार साव की पैतृक संपत्ति है | रामाधार साव को कोई पुत्र नहीं था इसलिए अपीलार्थीगण ही रामाधार साव के बुढ़ापा में उनकी सेवा करते थे और खेती तथा अन्य सभी कार्य भी करते थे | रामाधार साव की मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण फुल कुमारी देवी , राजकुमारी देवी और शोभा देवी उत्तराधिकारी हुए और स्व० रामाधार साव की सम्पति पर उनका हक़, दखल कब्ज़ा और स्वामित्व का अधिकार स्थापित हुआ | हाल सर्वे में भी रामाधार साव एवं अन्य हिस्सेदारों के नाम से ही खतियान बना है |

अपीलार्थीगण का कथन है कि प्रतिवादी रूबी देवी ने पुराना खाता संख्या 32 और पुराना प्लाट संख्या 874 से सम्बंधित एक तथ्यहीन केवाला बनवाया | हाल सर्वे खतियान के अनुसार खाता नंबर 255 के सह हिस्सेदारों को बिना सूचना निर्गत किए तथा बिना नामांतरण प्रक्रिया को पालन किये, अंचल अधिकारी हुसैनाबाद के द्वारा गलत तरीके से प्रतिवादी सख्या 1 रूबी देवी के नाम से उस भूमि का नामांतरण आदेश पारित कर दिया जिसपर अपिलार्थिगण का हक़, दखल कब्ज़ा और स्वामित्व है |

अपीलार्थीगण का कथन है कि अंचल अधिकारी के द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने से पुर्व सभी संयुक्त ज़मांबंदी रैयतो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया | इस्तेहार सही तरीके से प्रकाशित नहीं किया गया था और इस्तेहार पर जो हस्ताक्षर अंकित हैं, वह गलत और फर्जी हैं और उन पर कोई भी दिनांक अंकित नहीं है | साथ ही राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा पुराने राजस्व दस्तावेजों की सही तरीके से जाँच नहीं किया गया | अपीलार्थीगण के अनुसार, ऑनलाइन नामांतरण वाद संख्या 313 R 27 / 2019-2020 की संपूर्ण प्रक्रिया एवं जांच प्रतिवेदन तथा आदेश अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण है इसलिय खारिज करने योग्य है |

प्रतिवादी संख्या 1 रूबी देवी एवं प्रतिवादी संख्या 2 चंद्रावती कुंवर की ओर से दाखिल किए गए प्रतिउत्तर के अनुसार श्रीमती रूबी देवी ने निबंधत निबंधित विक्रय पत्र संख्या 900/891 दिनांक 12-07-218 द्वारा श्रीमती कौशल्या कुंवर से मौजा दंगवर के खाता नंबर – 32, प्लाट नंबर – 874, रकबा 9 2/3 डी० को खरीदा है और खरीदगी के पश्चात से उनका शांतिपूर्वक दखल कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है |

प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के अनुसार, उक्त भूमि के खतियानी रैयत गणपत कांदू थे और गणपत कांदू के वंशज रामाधार साव के हिस्से में यह भूमि थी | रामाधार साव को कोई पुत्र नहीं था उनके मात्र चार पुत्रियां थी | रामाधार साव ने अपने जीवन काल में अपनी पुत्री चंद्रावती कुंवर को अपनी सेवा के लिए रखा था | रामाधार साव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कौशल्या कुंवर ने प्रतिपक्षी संख्या एक के पक्ष में भूमि को बिक्री किया है जिस पर प्रतिपक्षी संख्या 1 क्रेता रूबी देवी का शांतिपूर्वक दखल कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है |

प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के अनुसार, क्रेता रूबी देवी ने भूमि के नामांतरण के लिए

ऑनलाइन आवेदन दिया और आवेदन के आलोक में नामांतरण प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद प्रतिपक्ष की संख्या एक के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत होकर सरकारी रसीद निर्गत होते चला आ रहा है।

प्रतिपक्ष संख्या 1 एवं 2 के अनुसार, अपिलार्थियो का अपील आवेदन का संपूर्ण पारा झूठी बातों पर आधारित है तथा अपिलार्थियो का अपीलवाद की भूमि पर कोई दखल कब्जा नहीं है। प्रतिपक्ष संख्या एक एवं दो ने अपील आवेदन को खारिज करने तथा अंचल अधिकारी हुसैनाबाद द्वारा पारित आदेश को बहाल रखने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या तीन, चार, पांच, छ: एवं सात के अनुसार इस अपिलवाद के भूमि पर, बिना सूचना निर्गत किए, संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका बिना दिए, तथा संयुक्त जमाबंदी में संबंधित पक्षकारों की सहमति के बगैर नामांतरण आदेश पारित किया गया है। फुलकुमारी देवी, राजकुमारी देवी एवं शोभा देवी, रामाधार साहू की पुत्रियां हैं तथा इनके हिस्से को प्रभावित करने के नियत से रूबी देवी ने अवैध एवं निराधार विक्रय पत्र का निष्पादन कराकर, बिना सूचना के ऑनलाइन म्यूटेशन का आदेश पारित कराया है जो विधि सम्मत नहीं है। फुलकुमारी देवी, राजकुमारी देवी एवं शोभा देवी का इस अपील वाद के भूमि पर संयुक्त हक दखल कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार स्थापित है तथा रूबी देवी के पक्ष में नामांतरण आदेश विधि सम्मत एवं न्याय संगत नहीं है इसीलिए यह नामांतरण आदेश खारिज करने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 6 के अनुसार, अपीलवाद की भूमि से संबंधित बटवारा का कोई भी कागज रूबी देवी प्रस्तुत नहीं कर सकती हैं तथा बिना विभाजन की भूमि का अलग जमाबंदी स्थापित करना विधि संगत नहीं है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, अपील आवेदन तथा प्रतिवादीओं की ओर से दाखिल किए गए प्रतिउत्तरों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलवाद की भूमि का जमाबंदी रामाधार साव एवं अन्य के नाम से संधारित था। रामाधार साव की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण फुलकुमारी देवी, राजकुमारी देवी, शोभा देवी वैध उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का दावा है कि इस अपीलवाद की भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। संयुक्त भूमि से संबंधित नामांतरण आदेश पारित करने से पुर्व, अंचल अधिकारी हुसैनाबाद को रामाधार साव के वंशज एवं सभी जमाबंदी रैयतो तथा सभी सह हिस्सेदारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए था। साथ ही सुनवाई के दौरान, अंचल अधिअक्करी के द्वारा उपस्थिती के माध्यम से अपिलर्थयों के दावे का विरोध भी नहीं किया गया है।

अत: अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए, नामांतरण वाद संख्या 313 R 27 / 2019-2020 में पारित नामांतरण आदेश को निरस्त करते हुए, अंचल अधिकारी हुसैनाबाद को निदेश दिया जाता है कि सभी पक्षों को पुन: अवसर देते हुए, सुनवाई करने के पश्चात, , विधि सम्मत Reasoned आदेश पारित करें।

इस आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद को अग्रेत्तर कार्यवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

22/2/24

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
हुसैनाबाद (पलामू)।

22/2/24

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
हुसैनाबाद (पलामू)।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2024.07.13 14:43:46 +05:30
Location: 192.168.31.45